921

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN) Phone- 2227725)

क्रमांक: एफ.61(3) SSAAT/ECMeeting/2019/ 1853 जयपुर दिनांक: 02-12-2020

कार्यकारी समिति (Executive Committee) की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 का कार्यवाही विवरण

सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की कार्यकारी समिति (Executive Committee) की तृतीय बैठक श्रीमान् रोहित कुमार सिंह (IAS), अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सह-अध्यक्ष कार्यकारी समिति (E.C.) की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2020 को प्रातः 10.45 बजे उनके कक्ष संख्या 3205 में आयोजित हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहे :-

क्र.सं.	अधिकारीगण	कार्यकारी समिति (EC) में पद
1.	श्रीमति मंजू राजपाल, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग	उपाध्यक्ष
2.	श्री पी. सी किशन, आयुक्त, मनरेगा	सदस्य
3.	श्री विमल कुमार गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव, वित्त(G&T)विभाग (प्रतिनिधि, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग)	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र किशन, संयुक्त शासन सचिव, श्रम (LSEE) विभाग (प्रतिनिधि, शासन सचिव, श्रम विभाग)	सदस्य
5.	श्रीमति ऋतु गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास	विशिष्ट आमंत्रित
6.	श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य-सचिव
7.	श्री सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (प्रतिनिधि, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)	सदस्य
8.	श्री अजय कुमार गुप्ता, लेखाधिकारी (कार्यवाहक उपनिदेशक)	सदस्य

सर्वप्रथम निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) नें सोसायटी के बारे में अब तक के क्रिया कलापों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यकारी समिति में एजेण्डा वार विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गये-

3.1 **कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि:-**

कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक **29.07.2020** के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं विचार-विमर्श कर इसकी पुष्टि की गयी।

3.2 **कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 के निर्णयों की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report- ATR) का अवलोकन :–**

कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक **29.07.2020 के निर्णयों की पालना रिपोर्ट** (Action Taken Report- ATR) का अवलोकन किया गया एवं पूर्ण सन्तोष व्यक्त किया गया।

3.3 **समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) प्रारम्भ कराये जाने पर विचार :–**

वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी की परिस्थितियों के चलते पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम सभाओं के आयोजन पर जारी प्रतिबन्ध दिनांक 15.03.2020 के कारण कोई भी नियमित सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेस दिनांक 29.05.2020 एवं उनके पत्रांक M-11015/03/2020-RE-III(371554) दिनांक 15.07.2020 में प्रदत्त समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने के निर्देशों पर कार्यकारी समिति के निर्णय सं. 2.9 के अनुसार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) फिलहाल नहीं कराया जा रहा था।

महात्मा गाँधी नरेगा के Mid Term Review (MTR) की विडियो कॉफ्रेंस दिनांक 19.11.2020 को श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, महात्मा गाँधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दी गई सलाह (Advisory) के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण स्थिति पर विचार–विमर्श कर समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) प्रारम्भ किये जाने का निर्णय किया गया। अतः इस हेतु वर्ष 2020–2021 में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण करवाने बाबत पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावे।

3.4 **सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन कार्यवाही पर विचार :–**

कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण कार्यकारी समिति (E.C.) की द्वितीय बैठक के निर्णय संख्या 2.8 की पालना हेतु श्रीमान् मुख्य सचिव, महोदय सह अध्यक्ष, शासी निकाय (GB), SSAAT के निर्देशानुसार परिचालन प्रस्ताव संख्या 1/2020 द्वारा प्राप्त अनुमोदन अनुसार इन विनियमों में संशोधन आदेश जारी किया जाना अभी प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त विनियमों के अन्तर्गत सामाजिक विकास विशेषज्ञ (1), राज्य संसाधन व्यक्ति (6), जिला संसाधन व्यक्ति (99) एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (1649) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (29500) के चयन कार्यवाही में सहयोग करने हेतु उपयुक्त एजेन्सी/संवेदक की सेवायें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (RTPP Act & Rules) के अन्तर्गत गठित उपापन समिति के माध्यम से खुली निविदा कार्यवाही की जाकर संसाधन व्यक्तियों की सेवायें सोसायटी के अनुमोदित विनियमों के अनुसार लिये जाने का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में चयन उपरान्त पत्रावली पर भी अनुमति ली जावे।

3.5 **सोसायटी में शक्तियों के प्रत्यायोजन (Schedule of Powers-SOP) पर विचार :–**

सोसायटी में वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन (Schedule of Financial & Administrative Powers) के बाबत पूर्ण तथ्यों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

चूँकि राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (RTPP Act 2012 & Rules 2013), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) आदि नियमों, जो राजस्थान सरकार में प्रचलित हैं, को राजस्थान सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में विधिवत रूप से अंगीकार (Adopt) किया जा चुका है।

इस एजेण्डा पर शासन सचिव, वित्त (बजट) के प्रतिनिधि संयुक्त शासन सचिव, वित्त (G&T) विभाग से अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष रूप से चर्चा कर राय ली गई। सभी लोगों ने इस बिन्दु पर सहमति जाहिर की। अतः राजकार्य सम्पादन हेतु राजस्थान सेवा नियम (RSR) सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTPP Act/Rules), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF & AR) आदि सोसायटी में लागू नियमों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार में प्रचलित व्यवस्था अनुसार निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को विभागाध्यक्ष के समकक्ष की एवं उप निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को कार्यालयाध्यक्ष के समकक्ष की शक्तियाँ प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3.6 **अन्य कोई विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

इस सम्बन्ध में कोई बिन्दु नहीं होने से इस पर कोई विचार–विमर्श नहीं हुआ।

इस बैठक उपरांत अध्यक्ष महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापन कर बैठक संपन्न हुई।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT) एवं सदस्य–सचिव,
कार्यकारी समिति

क्रमांकः एफ.61(3) SSAAT/ECMeeting/2019/ 1859-69 जयपुर दिनांकः 02-12-2020

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, एवं अध्यक्ष, शासी निकाय (**SSAAT**) को सूचनार्थ
2. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं प.रा.वि. सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (**SSAAT**)
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग एवं उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति (**SSAAT**)
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग
7. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा,
8. निजी सचिव, निदेशक एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (**SSAAT**)
11. उप निदेशक/लेखाधिकारी, (**SSAAT**)
12. समस्त सहायक लेखाधिकारी–प्रथम एवं द्वितीय/प्रोग्रामर, (**SSAAT**)
13. रक्षित पत्रावली।

2/12/2020
(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT) एवं सदस्य–सचिव,
कार्यकारी समिति